न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर, कैम्प मालसर
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

…/2009
…स : 2009/00092

श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नी श्री भूपराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 1 सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
…णु पुत्री श्री भूपराम पत्नी प्रमोदकुमार जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 1 सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
रवीकुमार पुत्र श्री भूपराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 1 सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
श्रीमती रेखा पुत्री श्री भूपराम पत्नी श्री सुरेन्द्रकुमार जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 1 सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
रोहिताश पुत्र श्री भुपराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 1 सुरतगढ़ नाबालिग जरिये माता खुद कुदरतीबली श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नी श्री भूपराम जाति बिश्नोई वार्ड नं. 1 सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

–:**वादीगण**

बनाम

1. चेतनराम पुत्र श्री भारूराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड 14 सुरतगढ तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर। (मृतक)
2. शिवकुमार पुत्र श्री चेतनराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड 03 सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्री गंगानगर।
3. नन्दराम पुत्र श्री चेतनराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड 14 सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ जिला श्री गंगानगर।
4. सेसकरण पुत्र श्री चेतनराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड 14 सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्री गंगानगर।
5. गीता पत्नी श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्री चेतनराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड 03 सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।
6. शान्तीदेवी पत्नी श्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 4 एमके तहसील रायसिंनगर जिला श्री गंगानगर।
7. लन्मीदेवी पत्नी श्री गोपालकृष्ण जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
8. राजस्थाना सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू 06.08.2009

उपस्थित अधिवक्तागण
1. **श्री राजाराम पूनिया वादीगण अधि.**
2. **श्री भूपसिंह प्रति. सं. 1 ता 5**
3. **श्री परविन्द्र बिश्नोई अधि. प्रति. सं. 6**

दिनांक : 13.08.2024

–: **निर्णय** :–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीया संख्या 1 के ससुर व वादी सं. 2 ता 5 के दादा श्री चेतनराम के नाम से चक 4 एमके के खाता सं. 21 में पं. नं. 127/286 के मु.नं. 3 के कि.नं. 3– 5–6– 8–13– 15–16–18–22–23 व 25 की 2. 568 है., पं.नं. 128/288 के मु.नं. 12 के कि.नं. 1–2–9 से 12 में 1.265 है. कुल 3.833 है. खातेदारी भूमि थी। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी … को उसके पिता श्री भारूराम पुत्र श्री गणेशाराम से जरिये विरास्तन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि चेतनराम … मिली है इसलिए जद्दी जायदाद है और जद्दी जायदाद होने की … से वादीगण सं. 2 ता 5 व वादी सं. 1 के पति को जन्म से ही चेतनराम की भूमि … बनता है। … के नाम की कुल … 3.833 है. में जद्दी जयदाद होने की वजह से चेतनराम के … अपने अधिकारों का … वादीगण का छठा हिस्सा बनता है। जिसे …

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:32:47 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

अधिकारी है। वादीगण के हिस्सा में 0.639 है. भूमि आती है। चेतनराम प्रतिवादी नं. 1 ने अपने हिस्सा से ज्यादा भूमि पहले से ही बेच चुका है अब उसका कोई हक या हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादीया नं. 1 के पति व अन्य वादीगण के पिता भूपराम के देहान्त हो जाने के बाद प्रतिवादी नं. 1 के मन में बदमाशी आ गई और वह वादीगण को भूमि में हिस्सा नहीं देना चाहता था प्रतिवादी सं. 2–3–4 इसी उद्देश्य से वादीगण को नुकसान पहुचाने के लिए प्रतिवादी सं. 1 से प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के साथ मिली भगत कर रखी है और उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 6 श्रीमती शान्तीदेवी को दिनांक 01.05.2008 को प्रतिवादी सं. 7 लक्ष्मीदेवी को दिनांक 06.02.2008 को जरिये बैयनामा बेच दी है। प्रतिवादी सं. 1 को उक्त विवादित भूमि जरिये विरास्त प्राप्त हुई है। इसलिए उसकी सारी भूमि बेचने का अधिकार नहीं था इसलिए प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 6 व 7 के पक्ष में करवाये गये बैयनामे वादीगण के हिस्से तक शुरू से ही शून्य है। जिनका वादीगण के हितो पर कोई असर नहीं है। वादीया करीब तीन चार दिन पहले उड़सर गांव में अपने घरेलू कार्य से आई हुई थी तो पटवारी हल्का से उक्त भूमि के बारे में पुछा तो पटवारी हल्का दिनांक 28.07.2009 को बताया कि आपकी उक्त विवादित भूमि का बैयनामा चेतनराम ने शांति व लक्ष्मीदेवी के पक्ष में करवा दिये है। प्रतिवादी सं. 1 ने विवादित भूमि के बेचकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुरतगढ़ में एफडी नं. 61045400388 दिनांक 26.05.2008 को तीन लाख रूपया की एफडी नं. 610446886276 दिनांक 13.05.2008 को सात लाख रूपया की अपने नाम से करवा दी है। जिससे यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी सं. 1 को इस भूमि को बेचने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थीं सिर्फ वादीगण के अधिकारों का हनन करना है। प्रतिवादी सं. 1 न तो वादीगण के हिस्सा की राशि दे रहा है ना ही उनके हिस्सा में आई भूमि दे रहा है अब प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त एफडी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम से करवा दी है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को बमुकाम सुरतगढ़ में दिनांक 31.07.2009 को विवादित भूमि में हिस्सा मांगा तो उन्होने देने से इन्कार कर दिया व कहा कि हमने तो उक्त भूमि को बेचन दी है हमारे पास कोई हिस्सा नहीं है इसके बाद तारीख 01.08.2009 को बमुकाम 4 एमके में प्रतिवादी नं. 6 व 7 को कहा कि हमारे हिस्सा की भूमि का बैयनामा केंसिल करवाकर हमारे नाम भूमि का राजस्व कागजात में अमलदरामद करवा दो तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि हमने तो रूपया देकर भूमि मोल ली है। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है बिनाय दावा वादीगण को जन्म से ही प्राप्त है। विवादित भूमि श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए वादीगण का वाद–पत्र श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर तहरीर होकर इन्कारी से अन्दर मियाद पेश है। अब वादीगण के पास श्रीमान् के न्यायालय में चारा जोई करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया हैं अतः वाद–पत्र वादीगण की ओर से पेश करके अर्ज है कि न्यायहित में वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 4 एम के के पं.नं. 127/286 के मु.नं. 3 के 2.568 है. पं.नं. 128/288 के मु.नं. 12 के 1.265 है. कुल 3.833 है. भूमि में वादीगण को 1/6 हिस्से के खातेदार घोषित कर तदनुसार किलेवाईज विभाजन कर कब्जा दिलाया जावे। और राजस्व कागजात में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिया जावे एवं बैयनामा बहक लक्ष्मीदेवी दिनांक 06.02.2008 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 5 पृष्ठ संख्या 160 क्रम संख्या 155 पर दस्तावेज पंजीबद्व किया गया है जिसकी एक प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 106 पृष्ठ संख्या 147 से 150 पर पंजीबद्व है व बैयनामां बहक शांति देवी दिनांक 01.05.2008 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 6[illegible] संख्या 6[illegible] क्रम संख्या 462 पर दस्तावेज पंजीबद्व किया गया जिसकी एक प्रति अतिरिक्त की [illegible] जावे [illegible] से ही शून्य घोषित कर उप पंजीयक मुकलावा को [illegible] उक्त दोनों दस्तावेजों पर नोट अंकित किया जावे कि [illegible] तक शून्य है। उक्त दस्तावेज पर राजस्व कागजा[illegible] है तो वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

भी निरस्त कर वादीगण के नाम उनके हिस्सा की भूमि का राजस्व कागजात में अमलदारमद किया जावे कि आदेश श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर को भेजा जावे। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की तरफ से श्री भूपसिंह मेघवाल अधिवक्ता उपस्थित। प्रति. सं. 6 की तरफ से श्री परविन्द बिश्नोई अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रति.सं. 1 ता 5 की तरफ से श्री भूपसिंह मेघवाल अधिवक्ता ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि प्रति. सं. 1 ने अपनी आय का हिस्सा अपने पिता भारूराम को दिया था जिससे ही भारूराम ने यह सम्पति अर्जित की थी व घरेलू बंटवारा में भारूराम से उक्त सम्पति मुझ प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई थीं। उपरोक्त सम्पति मुझ प्रति. सं. 1 की आय से ही मुझ प्रति. सं. 1 की आय से ही मुझ प्रति सं. 1 के पिता भारूराम ने अर्जित की थी इसलिए यह सम्पति जद्दी जायदाद की परिभाषा में नहीं आती है तथा ना ही इसमें वादीगण के पिता/पति का जन्म से ही हक एवं हिस्सा बनता है। वादीगण विवादित कृषि भूमि में अपना हक एवं हिस्सा घोषित करवा पाने के विधिक तौर से अधिकारी अब नहीं है, क्योकि वादीगण के पति/पिता ने पूर्व से ही अपने हक एवं हिस्सा को प्रतिवादी सं. 1 से प्राप्त कर लिया था व प्रतिवादी सं. 1 के मध्यम से ही वादीगण के पति/पिता ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 01.05.2008 को भूमि श्रीमती शांतिदेवी पत्नी हेतराम बिश्नोई साकिन 4एमके को विक्रय कर राशि प्राप्त कर ली थी जिसमें बतौर सहमति एवं गवाह के भूपराम पुत्र चेतनराम (वादीगण के पति/पिता) ने अपने हस्ताक्षर भी बैयनामा पर किये थे इस प्रकार अब वादीगण का कोई हक एवं अधिकार विवादित भूमि बाबत नहीं बनता है तथा ना ही कोई हक एवं हिस्सा प्राप्त करने के वादीगण विधिक तौर से अधिकारी है। विवादित भूमि में जब वादीगण का कोई हक एवं अधिकार शेष नहीं है तो उनकों नुकशान पहुचाने का कोई मक्सद ही पैदा नहीं होता है तथा ना ही प्रतिवादी सं. 1 की प्रतिवादी सं. 2 ता 4 से मिलिभगत का सवाल पैदा होता है। प्रति सं. 1 ने अन्य भूमि अपनी जायज जरूरीयात की पूर्ति के लिए ही बैचान कर बैयनामा करवाया है, व दिनांक 01.05.2008 का बैयनामा तो वादीगण के पति/पिता के समय से व उसकी सहमति से ही हुआ है उस समय ही उन्होने अपना हक एवं हिस्सा भूमि बेचान प्रति. सं. 1 के माध्यम से कर प्राप्त कर लिया था। बैयनामा कानूनी सही है जिसे किसी भी प्रकार से अपना हक एवं हिस्सा वादीगण बताते हुए शून्य नहीं करवा सकते। वादीगण एवं वादीगण के पति/पिता भूपराम को बैयनामा का ज्ञान शुरू से ही है दिनांक 28.07.2009 को बैयनामा की जानकारी होने के तथ्य गलत दर्ज किये है। बैयनामा दिनांक 01.05.2008 पर तो वादीगण के पति/पिता ने बतौर गवाहन एवं सहमति अपने हस्ताक्षर भी किय हुए है। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण ने मनघडत तथ्य दर्ज कर हम प्रतिवादीगण को नाजायज तंग परेशान करना चाहते है। एफडी आदि से वादीगण को कोई सरोकार नहीं है व एफडी आदि मुझ प्रति. सं. 1 की व्यक्तिगत हैं जिनमें किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी करने का वादीगण को कोई हक एवं अधिकार नहीं है, वादीगण ने एफडी आदि के तथ्यों को गलत व तंग परेशान करने हेतु तथ्य दर्ज किये है। वादीगण ने यह भी दर्ज नहीं किया है कि किसके सामने वादीगण ने हम प्रतिवादीगण से हिस्सा मांगा व हमने इन्कार किया है वादीगण के पति/पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपना हक एवं हिस्सा पैतृक सम्पति बाबत प्राप्त कर लिया था इसलिए वादीगण द्वारा बाद में कोई हिस्सा आदि मांगने का कोई औचित्य व प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वादीगण को कोई विनाए दावा एवं मुखास्तम दावा हासिल नहीं है। मामला न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है वा रजिस्टर्ड बैयनामा बाबत न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा खारिज ... ही दिलाया जावे।

3. सरकार की तरफ से जवाब पेश हुआं। जिसमें ... में ... रिकार्ड थी ... से बैयनामा विवादित भूमि चेतनराम पुत्र श्री भारूराम के नाम ... करवाने में कोई अड़चन नहीं थी। बैयनामा सिविल न्यायालय ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

तनकी संख्या (A)आया कि चक 4 एमके के पं.नं. 127/286 के मु.नं. 3 के 2.568 है. पं.न. 128/288 के मु.नं. 12 के 1.265 है. कुल 3.833 है. भूमि में वादीगण 1/6 हिस्से के खातेदार घोषित होने एवं तत्पश्चात खाता–विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

– वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था वादी द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल सं. 56 जो प्रदर्श–1 है के अनुसार चेतनराम को अपने पिता भारूराम की मृत्यु पर विरास्तन भूमि प्राप्त हुई थी। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 01.05.2008 व 06.02.2008 को चेतनराम द्वारा उक्त भूमि को क्रमश शांतिदेवी धर्मपत्नी हेतराम व लक्ष्मीदेवी धर्मपत्नी गोपालकृष्ण जाति बिश्नोई साकिन उड़सर को विक्रय कर दिया। जो प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 है। उक्त बैयनामा में जो प्रदर्श–5 है में गवाह व पहचान कर्ता के रूप में वादिया के पति व वादी सं. 2 ता 5 के पिता के हस्ताक्षर है। इससें यह जाहिर होता है कि चेतनराम द्वारा भूराराम की सहमति से उक्त भूमि का विक्रय किया था। शांतिदेवी व लक्ष्मी देवी सद्भावी क्रेता के रूप में भूमि पर काबिज है। भूमि पैतृक होना तो इन्तकाल सं. 56 प्रदर्श–1 से प्रमाणित है लेकिन पैतृक भूमि का परिवार के कर्ता द्वारा विक्रय किया जाता है तो वह विक्रय प्रारम्भ से ही शून्य (**Void**) नहीं हैं केवल शून्य करणीय (**Voidable**) है। केवल सिविल न्यायालय ही इसकी घोषणा कर सकता है। वादीगण इस तनकी को सिद्व करने मे असफल रहे है अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि प्र.वां.स.–1 द्वारा प्र.वा.सं.–6 के पक्ष में दिनांक 01.05.2006 एवं प्र.वा.सं.–7 के पक्ष में दिनांक 06.02.2008 को करवाया गया बैयनामा वादीगण के हिस्से तक ab-initio-void है एवं वादीगण के हितों पर शून्य है। –:वादीगण

इस तनकी हो सिद्व करने का भार वादीगण पर था। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्र.वा. सं. 6 के पक्ष मे दिनांक 01.05.2008 व प्र.वा.सं.–7 के पक्ष में 06.02.2008 को बैयनामा करवाया गया है। उक्त बैयनामा वादिया के पति व वादीगण 2 ता 5 के पिता की सहमति से हुआ है। पैतृक भूमि का परिवार के कर्ता द्वारा विक्रय किया जाता है तो वह विक्रय प्रारम्भ से ही शून्य(**Void**) नहीं हैं बल्कि शून्य करणीय (**Voidable**) है। यह अधिकारिता सिविल न्यायालय की है। अतः इस तनकी को सिद्व करने में वादीगण असफल रहे है, तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि वादग्रस्त आराजी प्र.वा.सं.–1 की आय से ही प्र.वा.सं.–1 के पिता भारूराम ने अर्जित की थी, अतः यह संपत्ति जद्दी जायदाद की परिभाषा में नहीं आती है।

–प्रतिवादी सं. 1 ता 5

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 1 ता 5 पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 की आप से प्रतिवादी सं. 1 के पिता भारूराम द्वारा अर्जित की हो। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरण सं. 56 जो प्रदर्श–1 है से यह जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई थी। इस तनकी को प्रतिवादी सं. 1 ता 5 सिद्व करने में असफल रहे है अतः यह तनकी प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादीया सं. 1 के पति एवं शेष वादीगण के पिता भूपराम ने अपने जीवनकाल में ही प्र.वा.स.–1 से 01.05.2008 को भूमि प्र.वा.स.–6 शांति देवी को भूमि विकय करवाकर राशि प्राप्त कर ली थी और अब वादीगण का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है।

–:प्रतिवादीगण 1 ता 5

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 1 ता 5 [illegible] सं. 1 द्वारा दिनांक 01.05.2008 व 06.02.2008 को विवादग्रस्त भूमि [illegible] करवाया था जिसमें वादीया के पति व वादीगण के पिता [illegible] थे। उक्त बैयनामा वादिया के पति व वादीगण के पिता की सहमति से [illegible] इसका विस्तार से उल्लेख तनकी सं. 1 में किया जा चुका है। [illegible] सं. 1 ता 5 के निर्णित की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

तनकी संख्या **(E)** आया कि वाद में चाहा गया अनुतोष सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, न कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का। अतः वाद वादीगण खारिज योग्य है। —:प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 1 ता 5 पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जवाबदावा से यह प्रमाणि होता है कि उक्त बैयनामा वादिया के पति व वादीगण की सहमति से प्र.वा.स. 1 द्वारा सम्पादित करवाया था जिसमें बतौर गवाह व पहचानकर्ता भूपराम के हस्ताक्षर है उक्त बैयनामा प्रारम्भतः शून्य(**Void**) नहीं हैं शून्यकरणीय (**Voidable**)है। जिसकी अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। यह तनकी बहक प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (F) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1–2–4–5 विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादीगण व तनकी संख्या 3 बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः प्रतिवादीगण को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत राजस्व ग्राम 4 एमके पटवार हल्का 3एमके, भू.अ.नि. क्षेत्र ...नावा, तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 3 के 2.568 है. पत्थर नं. 128/288 के मु.नं. 12 के ...है. कुल 3.833 है. भूमि में वादीगण को 1/6 हिस्से का प्रकरण भली–भांति साबित नहीं ...से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली ...दशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख ...ार जमा हो।

(सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक **13.08.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:32:47 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner